

राष्ट्रीय · National

राष्ट्रीय समसामयिकी: सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर फैसला, INS समर्थक कमीशन व स्पेस इकोनॉमी लक्ष्य

धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नौसेना में 'INS समर्थक' का प्रवेश और 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय विजन।

राष्ट्रीय · National

1. SC: धर्मांतरण पर आरक्षण व्यवस्था

- धर्म परिवर्तन के बाद पुरानी जाति के आधार पर BC आरक्षण नहीं मिलेगा।
- मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने सही ठहराया।

राष्ट्रीय · National

2. नौसेना को मिला INS समर्थक

- कारवार में पहला स्वदेशी मल्टी-पर्पज वेसल INS समर्थक कमीशन हुआ।
- 75% स्वदेशी सामग्री; नेक्स्ट-जेन हथियारों व सेंसरों के परीक्षण में होगा उपयोगी।

राष्ट्रीय · National

3. स्पेस इकोनॉमी \$45B का विजन

- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 7-8 साल में \$40-45B तक पहुंचेगी।
- निजी क्षेत्र, इन-स्पेस (IN-SPACE) और एफडीआई सुधारों से सेक्टर को मिली गति।

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

**INS समर्थक का
कमीशन स्थल**

कारवार नौसैनिक बेस (कर्नाटक)

**INS समर्थक में स्वदेशी
सामग्री**

75% से अधिक

**सुप्रीम कोर्ट पीठ के
न्यायाधीश**

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और
न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर

**संबद्ध संवैधानिक
अनुच्छेद**

अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4)

**वर्तमान भारतीय अंतरिक्ष
अर्थव्यवस्था मूल्य**

लगभग 9 बिलियन डॉलर

**अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का
2033 लक्ष्य**

40 से 45 बिलियन डॉलर

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

हाल ही में कर्नाटक के कारवार में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी मल्टी-पर्पज वेसल (MPV) का क्या नाम है?

A INS समर्थक

B INS संवाहक

C INS शक्ति

D INS संधायक

उत्तर / Answer: A — उपराष्ट्रपति द्वारा कारवार में कमीशन किया गया 'आईएनएस समर्थक' भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मल्टी-पर्पज वेसल है, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री लगी है।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के बाद पिछड़ा वर्ग आरक्षण पात्रता के संदर्भ में किस उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा?

A बॉम्बे उच्च न्यायालय

B मद्रास उच्च न्यायालय

C केरल उच्च न्यायालय

D इलाहाबाद उच्च न्यायालय

उत्तर / Answer: B — सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हिंदू धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद पुरानी जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends